"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2002—पौष 6, शक 1924

## भाग 3 (1)

### विविध

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वन-मण्डलाधिकारी, कोरबा वन-मण्डल, कोरबा (छत्तीसगढ़)

आदेश क्रमांक/मा. चि./175.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शित पासिंग हैमर श्री चांद अली रिज़वी, परिसर रक्षक, पंडरीपानी को बेंदरकोना दलदली आरेंज वनखण्ड में कोरबा-बूधीपादर ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले वृक्षों के पातन हेतु हैमर परिक्षेत्र सहायक को दिया गया था. संदिग्ध व्यक्ति को दौड़ाते समय हैमर कहीं गिर गया जो आज दिनांक तक अप्राप्त है. इसकी सूचना पुलिस थाना बाल्को में दी जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त पासिंग हैमर वनमंडल स्टाक से अलग कर अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे कृपया निकटतम थानें में अथवा वनमण्डल कार्यालय कोसाबाड़ी कोरबा में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा पासिंग हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त पासिंग हैमर का कीमत रुपये 37/- मात्र श्री चांद अली रिज़वी, परिसर रक्षक, पंडरीपानी से वसूली के आदेश जारी किये जाते हैं. साथ ही हैमर जैसे महत्वपूर्ण शासकीय वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण श्री चांद अली रिज़वी, परिसर रक्षक, पंडरीपानी के विरुद्ध अलग से अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा रहा है.

एस. सी. रहटगांवकर,
वन-मण्डलाधिकारी.

## कार्यालय, वन-मण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा वनण्डल, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/स्टोर/2002/89.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार पार्श्व में दर्शाया गया बीट हैमर परिसर जिगर्निया, परिक्षेत्र कुसमी के लिये जारी किया गया था. परिक्षेत्राधिकारी कुसमी ने अपने पत्र क्रमांक 197, दिनांक 4-4-2002 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि स्व. श्री जवाहर लाल सिन्हा, वनरक्षक द्वारा दिनांक 17-9-2000 को प्रभार सौंपते समय हैमर क्रमांक 117/3G नहीं सौंपा गया है.

परिक्षेत्राधिकारी के उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार हैमर के संबंध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत लेख किया गया है. अतः वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हैमर क्रमांक 117/3G को वनमण्डल के स्टॉक से अपलेखन किया जाता है. उक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे कृपया निकटतम थाने अथवा इस कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार उक्त हैमर का अनाधिकृत तथा अवैधानिक प्रयोग करने वाला व्यक्ति भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत दण्ड का भागी होगा.

उक्त हैमर की कीमत रु. 24 (चौबीस रुपये) स्व. श्री जवाहर लाल सिन्हा, वनरक्षक से उनके पेन्शन संबंधी देयकों से वसूली आदेश जारी किया जाता है.

गुमशुदा हैमर का निशान

**अनूप कुमार श्रीवास्तव,**
वन-मण्डलाधिकारी.

---

## कार्यालय, वन-मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, महासमुन्द

क्रमांक/142.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आकृति का बीट हैमर परिक्षेत्र अधिकारी बसना द्वारा वनरक्षक श्री सीताराम देवता, परिसर रक्षी कुरमाडीह को प्रदाय किया गया था. परिसर रक्षी के रात्रि गश्त के समय लापरवाही के कारण निम्न हैमर कहीं गुम हो गया है. तलाश करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है.

बीट हैमर की आकृति

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर को अपलेक्षित किया जाता है.

उक्त हैमर की राशि 36/- (रु. छत्तीस) बीट गार्ड श्री सीताराम देवता से वसूल करने का आदेश किया जाता है तथा लापरवाही पूर्वक हैमर गुमाने के कारण उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

यदि उक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो समीप के वन कार्यालय या नजदीकी थाने में जमा करने का कष्ट करें.

इस विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त आकृति के हैमर को कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से रखे हुए अपने उपयोग में लाते हुए पाया गया तो उस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 63 के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा और वह दण्ड का भागी होगा.

**सुधीर अग्रवाल,**
वन-मण्डलाधिकारी.

---

## कार्यालय, वन-मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धमतरी (छ. ग.)

क्रमांक/32.—वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिरगुड़ी के पत्र क्रमांक 687, दिनांक 16-6-2002 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये बीट हैमर वनरक्षक श्री पंचराम साहू के द्वारा दिनांक 20-5-02 को बीट गश्त के समय गुमा दिया गया है. हैमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे. अतः वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा बीट हैमर

को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.

हैमर की कीमत रुपये 52/- वनरक्षक श्री पंचराम साहू से वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाने में या वन कार्यालय में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हैमर अनाधिकृत रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

**व्ही. श्रीनिवास राव**
वन-मण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग (छ. ग.)

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2002/408.—जय श्री राम ट्रक ट्रान्सपोर्ट को-आपरेटिव्ह सोसाइटी मर्या., जामुल जिला दुर्ग पंजीयन क्रमांक 108 दिनांक 3-7-87 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./99/2000/323 दिनांक 15-2-2000 से श्री बी. पी. चन्द्राकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसंमापन की कार्यवाही पूर्णतः सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और मैं धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं (छ. ग.) छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत जय श्री राम ट्रक ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव्ह सोसाइटी मर्या., ज़ामुल जिला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 108 दिनांक 3-7-87 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2002/1400.—अधिवक्ता परिषद् गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., दुर्ग पं. क्र. 97 दिनांक 16-9-72 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1993 दिनांक 30-8-99 से श्री एन. एस ठाकुर, सहायक निरीक्षक, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत अधिवक्ता परिषद् गृह निर्माण सह. समिति मर्या., दुर्ग पं. क्र. 97 दिनांक 16-9-72 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2002/832.—कृषक ट्रैक्टर सहकारी समिति मर्या. गुरूर, पं. क्र. 144, दिनांक 25-5-2000 को छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2001/349, दिनांक 1-3-2002 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी गुरूर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत कृषक ट्रेक्टर सहकारी समिति मर्या. गुरूर, पं. क्र. 144, दिनांक 25-5-2000 का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 11-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/410.—कृषक यातायात सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 130 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 112 दिनांक 17-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए-दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. सी. वर्मा, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/349.—कृषक ट्रेक्टर परिवहन सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 144 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 113 दिनांक 17-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड गुरूर जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/892 A.—आर. सी. एल. सहकारी जलपान गृह मर्या., भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2460, जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 772 दिनांक 3-6-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**एस. एल. विश्वकर्मा,**
उप-पंजीयक.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/388U.—सिंचाई कर्मचारी को-आपरेटिव्ह साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 1770 दिनांक 4-4-1963 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./429 दिनांक 17-2-95 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश. तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सिंचाई कर्मचारी को-आपरेटिव्ह साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 1770 दिनांक 4-4-1963 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 T.—सर्वोदय को-आपरेटीव्ह सहकारी साख समिति मर्या., कुम्हारी, पं. क्र. 1681 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश

क्रमांक उपंदु/परि. 2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सर्वोदय को-आपरेटिव्ह साख समिति मर्या. कुम्हारी, पं. क्र. 1681 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888S.—सिन्टरिंग प्लान्ट कर्मचारी सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या भिलाई, पं. क्र. 2006 दिनांक 27-5-1967 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि. 429 दिनांक 17-2-1975 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सिन्टरिंग प्लान्ट कर्मचारी सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2006 दिनांक 27-5-1967 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888P.—रवीन्द्र मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., खल्लारी, पं. क्र. 2158 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि. सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड डोन्डी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत रवीन्द्र मत्स्योद्योग सह. समिति मर्या. खल्लारी, पं. क्र. 2158 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888A.—सर्वोदय तेलघानी सहकारी समिति मर्या. अरकार, पं. क्र. 1518 दिनांक 18-2-1960 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि. 2041 दिनांक 12-8-1986 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गुरूर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के

नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सर्वोदय तेलघानी सहकारी समिति मर्या., अ[illegible] पं. क्र. 1518 दिनांक 18-2-60 का पंजीयन निरस्त करता हूं औ[illegible]स्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888B.—ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या., कोलिहामार, पं. क्र. 1839 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./865 दिनांक 8-5-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गुरूर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. कोलिहामार, पं. क्र. 1839 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 E.—हनुमान बुनकर सहकारी समिति मर्या. धमधा, पं. क्र. 1887 दिनांक 23-3-65 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत हनुमान बुनकर सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1887 दिनांक 23-3-65 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888C.—बहुद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति मर्या., गुरूर, पं. क्र. 1957 दिनांक 12-1-1967 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2042 दिनांक 12-8-1986 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, गुरूर विकासखण्ड गुरूर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक

एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति मर्या. गुरूर, पं. क्र. 1957 दिनांक 12-1-1967 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888D.—लोहा लकड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या. नन्दौरी, पं. क्र. 1753 दिनांक 12-12-1962 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत लोहा लकड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., नन्दौरी, पं. क्र. 1753 दिनांक 12-12-1962 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888F.—राजहरा माइन्स कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. दल्ली राजहरा, पं. क्र. 1924 को म. प्र. सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि. 2041 दिनांक 12-8-1986 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोन्डी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत राजहरा माइन्स कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार, मर्या., दल्ली राजहरा, पं. क्र. 1924 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2002/888G.—मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 2160 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001, दिनांक 31-3-1986 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, धमधा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक के शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या., धमधा का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2002/888H.—चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., विरौदा, पंजीयन क्रमांक 1508 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./565, दिनांक 28-1-76 से सहकारिता विस्तार अधिकारी धमधा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत चांवल दाल सहकारी समिति मर्या., विरौदा, पं. क्रमांक 1508 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 I.—चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., रांका, पं. क्र. 1558 को म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु. परि./2873 दिनांक 20-9-73 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत चांवल दाल उद्योग सह. समिति मर्या. रांका, पं. क्र. 1558 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 J.—उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., हथमुंडी, पं. क्र. 2121 दिनांक 16-3-73 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2040 दिनांक 2-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उद्वहन सिंचाई सह. समिति मर्या., हथमुंडी, पं. क्र. 2121, दिनांक 16-3-73 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 K.—बीज भण्डार सहकारी समिति मर्या., टेकापार, पं. क्र. 371 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन

में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1059 दिनांक 25-6-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गुन्डरदेही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बीज भण्डार सहकारी समिति मर्या., टेकापार, पं. क्र. 371 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 L.—तेलघानी सहकारी समिति मर्या., सिकोसा पं. क्र. 1750 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2041 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गुन्डरदेही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत तेलघानी सहकारी समिति मर्या.; सिकोसा, पं. क्र. 1750 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2002/888 M.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथर्रा, पंजीयन क्रमांक 2176 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./100, दिनांक 31-8-1986 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथर्रा, पंजीयन क्रमांक 2176 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 N.—शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला साख सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पं. क्र. 1751 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2084 दिनांक 24-10-2000 से श्री आर. सी. वर्मा, स. नि., दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला साख सहकारी समिति मर्या., दुर्ग पं. क्र. 1751 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समास करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 O.—खनिज कर्मचारी सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., भिलाई पं. क्र. 1984 दिनांक 10-4-67 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./573 दिनांक 27-3-2001 से श्री बी. एल. पटेल, स. नि., दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत खनिज कर्मचारी सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., भिलाई, पं. क्र. 1984 दिनांक 10-4-67 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समास करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1078.—सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नंदनी, पं. क्र. 1781 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./565 दिनांक 28-1-76 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नंदनी पं. क्र. 1781 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समास करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1077.—चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरी, पं. क्र. 1682 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2041 दिनांक 12-8-80 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गुरूर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी

संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत चावल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरी, पं. क्र. 1682 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1029.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रहटादाह, पं. क्र. 2104 दिनांक 12-8-1971 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001 दिनांक 31-3-1986 से विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हू कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रहटादाह, पं. क्र. 2104 दिनांक 12-8-1971 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1081.—शक्ति नगर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., औद्योगिक नगर, वार्ड नं. 11, पं. क्र. 2382 दिनांक 18-4-91 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./767 दिनांक 27-4-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत शक्ति नगर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., औद्योगिक नगर, दुर्ग, पं. क्र. 2382 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1082.—चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., बारगांव, पं. क्र. 1809 दिनांक 4-12-63 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेरला को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., बारगांव, पं. क्र. 1809 दिनांक 4-12-63 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1084.—विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भटगांव, पं. क्र. 578 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./ 2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेरला को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भटगांव, पं. क्र. 578 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1083.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रांका, पं. क्र. 2103 दिनांक 12-8-71 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेरला को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रांका, पं. क्र. 2103 दिनांक 12-8-71 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1080.—बी. एस. पी. सेन्ट्रल वर्कर्स को-आपरेटीव्ह केन्टीन मर्या., भिलाई पं. क्र. 1858 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001 दिनांक 31-3-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बी. एस. पी. सेन्ट्रल वर्कर्स को आपरेटीव्ह केन्टीन मर्या., भिलाई, पं. क्र. 1858 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1140.—बी. एस. पी. इम्पलाईज को-आपरेटीव्ह केन्टीन मर्या., भिलाई सेक्टर-6, पं. क्र. 1949 दिनांक 22-9-66 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत

कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001 दिनांक 31-3-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बी. एस. पी. इम्पलाईज को-आपरेटीव्ह केन्टीन मर्या., सेक्टर-6, भिलाई पं. क्र. 1949 दिनांक 22-9-66 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1228.—हेमन्त बुनकर सहकारी समिति मर्या., नंदनी, पं. क्र. 2142 दिनांक 4-9-76 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001 दिनांक 31-3-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत हेमन्त बुनकर सहकारी समिति मर्या., नंदनी, पं. क्र. 2142 दिनांक 4-9-76 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1239.—बी. एस. पी. कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिलाई नगर, बोरिया केम्प-3, पं. क्र. 1935 दिनांक 5-2-66 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./2041 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बी. एस. पी. कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. भिलाई नगर, बोरिया केम्प-3, पं. क्र. 1935 दिनांक 5-2-66 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1239 अ.—दुग्ध एवं पशुपालन सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2174 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक सपंदु/परि./454 दिनांक 23-2-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की

शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत दुग्ध एवं पशुपालन सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2174 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1240.—क्रासिंग प्लान्ट को-आपरेटीव्ह केन्टीन मर्या., नन्दनी माइन्स, पं. क्र. 2096 दिनांक 16-4-71 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज़ नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत क्रासिंग प्लान्ट को-आपरेटीव्ह केन्टीन मर्या., नंदनी माइन्स, पं. क्र. 2096 दिनांक 16-4-71 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1240 अ.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डंगनिया, पं. क्र. 2107 दिनांक 12-8-71 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001 दिनांक 31-3-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डगनिया, पं. क्र. 2107 दिनांक 12-8-71 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1241.—चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., टेमरी, पं. क्र. 1656 दिनांक 18-1-62 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./2041 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., टेमरी, पं. क्र. 1656 दिनांक 18-1-62 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1241-अ.—ईंट कवेलू निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1648 दिनांक 30-9-61 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि. 2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विकास अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ईंट कवेलू निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1648 दिनांक 30-9-61 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1246.—लोहा लकड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कसारीडीह, दुर्ग, पं. क्र. 1615 दिनांक 26-6-61 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि. 2041 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत लोहा लकड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कसारीडीह, दुर्ग पं. क्र. 1615 दिनांक 26-6-61 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1268.—बी. एस. पी. इम्पलाईज को-आपरेटीव्ह स्टोर्स मर्या., सेक्टर-2 भिलाई, पं. क्र. 1817 दिनांक 23-1-64 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2040 दिनांक 12-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बी. एस. पी.

इम्पलाईज को-आपरेटीव्ह स्टोर्स मर्या., सेक्टर-2 भिलाई, पं. क्र. 1817 दिनांक 23-1-64 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1266.—बीड़ी मजदूर सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1496 दिनांक 29-9-59 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./435 दिनांक 29-2-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत बीड़ी मजदूर सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1496 दिनांक 29-9-59 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1265.—शिवनकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1545 दिनांक 30-6-1960 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2041 दिनांक 20-8-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत शिवनकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1545 दिनांक 30-6-60 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1267.—साहू तेलघानी सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1654 दिनांक 6-1-62 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001 दिनांक 31-3-1986 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत साहू तेलघानी सहकारी समिति मर्या., धमधा, पं. क्र. 1654 दिनांक 6-1-62 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/1269.—पुलिस बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., दुर्ग, पं. क्र. 1511 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./2612 दिनांक 29-12-99 से आर. सी. वर्मा, स. नि., दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत पुलिस बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., दुर्ग, पं. क्र. 1511 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/556.—खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., राजपुर, पंजीयन क्रमांक 2681 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 109 दिनांक 17-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-2-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/557.—जय भीम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., न्यू बालाजी नगर, सेक्टर-11, जोन-2, खुर्सीपार पंजीयन क्रमांक 2/2647 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 108 दिनांक 17-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-सी दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड दुर्ग जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-2-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/558.—आदिवासी मजदूर खदान सहकारी समिति मर्या., कारूटोला विकासखण्ड डोण्डी, पं. क्र. 2616 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 107 दिनांक 17-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड डौण्डी, जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-2-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/606.—प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या., जामूल, पंजीयन क्रमांक 2717 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 172 दिनांक 28-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-सी दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री टी. आर. साहू वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-4-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/170.—आदिवासी कामगार तथा कारीगर सहकारी समिति मर्या., सेम्हरकोना, पंजीयन क्रमांक 2348 दिनांक 14-5-90 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 1952 दिनांक 27-9-2000 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बालोद जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-1-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/450.—श्रमिक सहकारी समिति मर्या., कपरमेटा पंजीयन क्रमांक 2697 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 105 दिनांक 17-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, गुरूर जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/558.—श्री गुरूदेव जनरल आर्ट सप्लाई सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 2703 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 106 दिनांक 17-1-2002 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-2-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/559.—जय मां दुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., शंकरनगर स्टेशन मरौदा, पंजीयन क्रमांक 2679 जिला दुर्ग को म. प्र. सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 21-8-2000 दिया गया था, किन्तु समयावधि में संस्था से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, उमेश तिवारी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1/99 पन्द्रह-1-ए दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री टी. आर. साहू, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888Q.—टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को-आपरेटिव्ह केन्टीन सहकारी समिति मर्या., भिलाई, पं. क्र. 2005 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1429 दिनांक 17-2-95 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग विकासखण्ड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव में, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को-आपरेटीव्ह केन्टीन मर्या., भिलाई, पं. क्र. 2005 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

---

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2001/888 R.—खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., नन्दनी, पं. क्र. 2116 दिनांक 31-3-1973 को म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंदु/परि./1001 दिनांक 31-3-1986 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धमधा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत म. प्र सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, उमेश तिवारी, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., नन्दनी, पं. क्र. 2116 दिनांक 31-1-1973 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**उमेश तिवारी,**
सहायक रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा उप-नियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—200